


फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर


श्री डालचन्द्र विपक्षी ठांगाबाई
 स्म मुकद्मा वीर पत्रावली संख्या 43/14 सन् _____

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
---------	-----------------	-----------------------------------------

16/125
 अनुमान बन्दी/प्रतिवादी उप-संगी-श्री/ब/उवा/तलबी
 के विरुद्ध भौक चालते है। अतः सन: 04/07/25
 अन्तर्गत दिया जाकर पत्रावली दि 04/07/25
 को पेश हो।

 (SDO) मावली

4/7/25
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप।
 उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
 बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
 स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
 भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व अदेश
 के क्रम में दिनांक 28/8/25 को पेश हो।
 B/O

22/8/25
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप।
 उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
 बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
 स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
 भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
 के क्रम में दिनांक 26/9/25 को पेश हो।
 B/O

28/9/25
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप।
 उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
 बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
 स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
 भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
 के क्रम में दिनांक 19/11/25 को पेश हो।




14/11/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप
के लिये मौका चाहते है। अतः
अवसर दिया जाकर फत्रावली दि 19/12/25
को पेश हो।

M.
(SDO) मावली

19/12/25
फत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उय।
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने/अधिकारी जी बाज अवकार/
भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। फत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 6/2/26 को पेश हो।

B10
2

06/02/26

फत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उमय पक्षकारान
अनुपस्थित। अधिवक्ता उमय पक्षकारान को बार-बार
आवाजे दिलवाई गई। समय साँघ 5:00 PM हो
चुके हैं। स्वयं पक्षकारान एवं उनके अधिवक्ता
अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादीगण
मय स्वयं वादीगण एवं अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या
11 से 20 मय स्वयं प्रतिवादी संख्या 11 से 20 अनुपस्थित
रहने पर वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 11 से
20 का प्रतिवाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज
किया जाता है। फत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
सौ कम हों।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(SDO) मावली